अध्याय VI

प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

अध्याय VI
प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

6.1 परिचय

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सुदृढ़ बनाने एवं अनुमोदन से भिन्न प्रतिपूरक वनीकरण मामलों की पहचान करने के उद्देश्य से आरक्षित वनों[1]/सीमांकित संरक्षित वनों[2] में प्रतिपूरक वनीकरण एवं भूमि उपयोग-भूमि आवरण (एलयूएलसी) पर भू-स्थानिक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र[3], जो राज्य में योजना एवं विकासात्मक गतिविधियों में स्थानिक एवं भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सुविधा उपलब्ध करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, की सेवाओं का उपयोग करके किया गया था। यह अध्ययन अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य किया गया।

6.2 प्रतिपूरक वनीकरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (साइटों) के वर्तमान एवं विगत परिदृश्य का पता लगाने के लिए तीन अलग-अलग प्रकार के डाटाबेस का उपयोग करके प्रतिपूरक वनीकरण पर अध्ययन किया गया।

1. भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया गया वन वर्गीकरण- (विगत परिदृश्य को जानने के लिए) भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वन वर्गीकरण को मोटे तौर पर पांच वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसाकि **तालिका 6.1** में विवर्णित है।

तालिका 6.1: वर्गीकरण योजना

अति सघन वन	70 प्रतिशत व उससे अधिक के छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव (सदाबहार) आवरण सहित) वाली सभी भूमि।	
मध्यम सघन वन	40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच के छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव आवरण सहित) वाली सभी भूमि।	
खुले वन/खुले अवक्रमित वन	10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच के छत्र घनत्व वाले वृक्ष आवरण (मैंग्रोव आवरण सहित) वाली सभी भूमि।	
झाड़ी	10 प्रतिशत से कम छत्र घनत्व वाले वृक्षों की कम वृद्धि वाली सभी भूमि, जिनमें मुख्य रूप से छोटे या कम कद वाले वृक्ष हैं।	
वनेत्तर भूमि	कोई भी वह क्षेत्र जो उपरोक्त वर्गों में शामिल नहीं है	

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्गीकरण योजना

---

1 आरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित और पूर्ण सुरक्षा प्राप्त क्षेत्र है। आरक्षित वन में अनुमति के बिना सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

2 सीमांकित संरक्षित वन भारत वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत वो अधिसूचित क्षेत्र है, जिसमें सीमित सुरक्षा होती है। संरक्षित वनों में व्यक्तियों या समुदायों के किसी भी मौजूदा अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है।

3 हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है।

2. भूमि उपयोग-भूमि आवरण वर्गीकरण - (वर्तमान परिदृश्य को जानने के लिए)

भूमि उपयोग विभिन्न मानवीय प्रयोजनों या आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि के कार्यात्मक आयाम पर आधारित है, जबकि भूमि आवरण जमीन की सतह के आवरण, चाहे वह वनस्पति, शहरी बुनियादी ढांचा, पानी हो या केवल मिट्टी या अन्य हो, को संदर्भित करता है; यह भूमि के उपयोग का वर्णन नहीं करता, और एक ही आवरण प्रकार वाली भूमि के लिए भूमि का भिन्न उपयोग हो सकता है। उपग्रह (सैटेलाइट) डाटा से वेक्टर परतों[4] का निष्कर्षण इस प्रकार है: निर्मित भूमि; कृषि; हरित आवरण; घास/चारागाह; बंजर अनुपयोगी/निर्जन/खुली; आर्द्रभूमि/जल निकाय।

3. रुचिकर क्षेत्र (ध्यानाकर्षक क्षेत्र) के अवलोकनार्थ सैटेलाइट डाटा - (वर्तमान परिदृश्य जानने के लिए)

आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों (अतिक्रमण की सीमा सत्यापित करने के लिए) में प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों एवं भूमि उपयोग-भूमि आवरण के भू-स्थानिक अध्ययन हेतु एआरसीजीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके भूमि उपयोग-भूमि आवरण एवं अतिक्रमण की स्थिति की व्याख्या के लिए सैटेलाइट जीईओ आई (2008 में लॉन्च किया गया व 0.50 मीटर का बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है) डाटा का प्रयोग किया गया।

6.2.1 कार्य-क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

भू-स्थानिक का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ एक विशेषज्ञ सलाहकार (आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र) की सेवाओं का उपयोग करते हुए अक्टूबर व दिसंबर, 2022 के मध्य विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण हिमाचल प्रदेश वन विभाग के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अनुभाग, विभाग के क्षेत्रीय मण्डलों एवं ई-ग्रीन वॉच[5] पोर्टल से प्राप्त द्वितीयक डाटा[6] के आधार पर किया गया। निर्णयात्मक नमूने, आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष

---

4 वेक्टर परतें/वेक्टरीकरण - उपग्रह छवि का वेक्टर डाटा (बिंदु, रेखाएं व बहुभुज) में रूपांतरण - जीईओ आई (GEO EYE) उपग्रह छवि से प्राप्त किया गया।

5 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व योजना प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में, वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं के स्वचालन, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु एक ई-गवर्नेंस पोर्टल स्थापित किया गया।

6 वर्ष 2009 व 2019 हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण डाटा हिमाचल प्रदेश वन विभाग के जीआईएस अनुभाग से प्राप्त किया गया एवं प्रतिपूरक वनीकरण बहुभुज को क्षेत्रीय मण्डलों व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल से प्राप्त किया गया था। सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में भूमि उपयोग-भूमि आवरण पर भू-स्थानिक अध्ययन करने के उद्देश्य से कंपार्टमेंट (वन कंपार्टमेंट प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है। कंपार्टमेंट का एक समूह एक ब्लॉक बनाता है और कई ब्लॉक एक वन रेंज बनाते हैं) स्तर का डाटा वन विभाग के जीआईएस अनुभाग से प्राप्त किया गया था।

अनुप्रयोग केंद्र द्वारा किए गए जोखिम विश्लेषण[7] एवं ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध डाटा के आधार पर भू-स्थानिक अध्ययन हेतु 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का चयन किया गया। इनमें से 13 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों[8] की शेप फाइलें ई ग्रीन वॉच पोर्टल से डाउनलोड की गई व नौ स्थलों की फाइलें मण्डलों द्वारा उपलब्ध कराई गई (जिन्हें आगे ई-ग्रीन वॉच से भी सत्यापित किया गया)।

वर्ष 2020 के वर्तमान परिदृश्य में भूमि उपयोग-भूमि आवरण की व्याख्या[9] हेतु वन विभाग द्वारा प्रदान की गई शेप फाइलों (बहुभुज) को भारतीय वन सर्वेक्षण डाटा (विभिन्न श्रेणियों यानी अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, झाड़ियों के तहत प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की सटीकता के विश्लेषण हेतु) एवं सैटेलाइट डाटा पर अध्यारोपित (सुपरइम्पोज़) किया गया।

चार्ट 6.1: अध्ययन की पद्धति

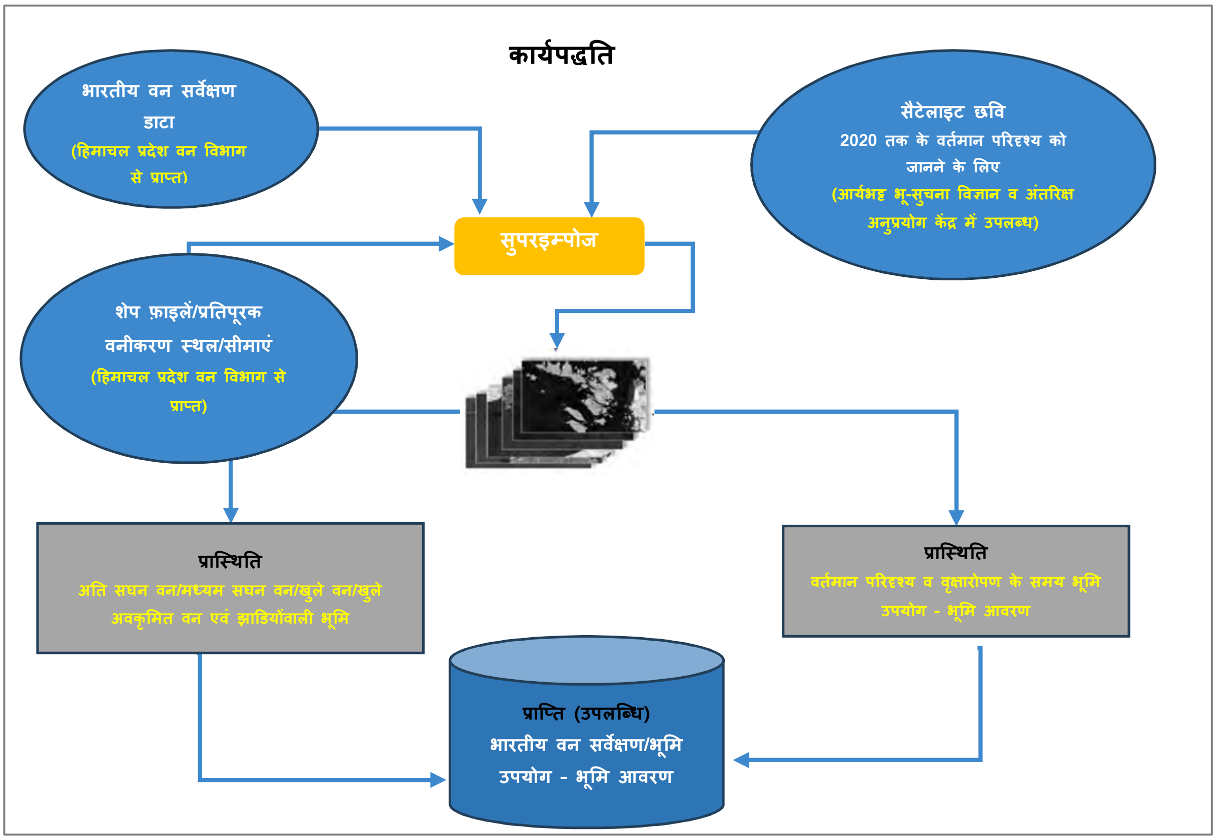

स्रोत: आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र

7 छायादार हिस्से में पड़ने वाले बहुभुजों के कारण उपग्रह से अस्पष्ट छवियां, क्षेत्र पर बादल छाए रहना आदि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए।

8 शेप फ़ाइल (SHZ/KMZ/KML फ़ॉर्मेट में) स्थलों के भौगोलिक स्थान की स्थिति व विशेषता जानकारी संग्रहीत करने के लिए एक सरल, गैर-टोपोलॉजिकल प्रारूप है। शेप फ़ाइल में भौगोलिक विशेषताओं को बिंदुओं, रेखाओं या बहुभुजों (क्षेत्रों) द्वारा दर्शाया जा सकता है।

9 छवि व्याख्या - छवियों की जांच करने एवं उनके स्थान व सीमा पर विचार करके उनके महत्व को पहचानने एवं आंकने की प्रक्रिया।

6.2.2 भू-स्थानिक अध्ययन के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.2.1 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के सापेक्ष ई-ग्रीन वॉच पर बहुभुजों को अपलोड करने की प्रास्थिति

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को कार्यों की कुशल निगरानी हेतु वृक्षारोपण के सभी डाटा को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए[10] (जनवरी 2021)। वर्ष 2010-11 से 2020-21 की अवधि के दौरान किए गए प्रतिपूरक वनीकरण की स्थिति एवं नमूना-जांचित नौ मण्डलों के जिन प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों हेतु बहुभुज अपलोड किए गए थे, उनकी स्थिति **तालिका 6.2** दी गई है।

तालिका 6.2: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों एवं बहुभुजों की प्रास्थिति

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्थलों की संख्या	क्षेत्र	प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की संख्या जहां बहुभुज अपलोड किए गए	क्षेत्र
1	कुनिहार	77	798	29 (38)	300 (38)
2	भरमौर	54	570	49 (91)	508 (89)
3	चंबा	49	566	30 (61)	352 (62)
4	धर्मशाला	8	157	7 (88)	156 (99)
5	कुल्लू	36	569	9 (25)	30 (5)
6	सराज	29	284	12 (41)	87 (31)
7	किन्नौर	174	705	0	0
8	चौपाल	39	359	2 (5)	20 (6)
9	नाचन	8	246	1 (13)	15 (6)
योग		**474**	**4,254**	**139 (29)**	**1,468 (35)**

स्रोत: ई-ग्रीन वॉच व मण्डलीय अभिलेख; कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 6.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से 2020-21 की अवधि के दौरान 4,254 हेक्टेयर क्षेत्र में 474 स्थलों पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया, जिसके सापेक्ष 1,468 (35 प्रतिशत) क्षेत्रफल वाले केवल 139 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (29 प्रतिशत) के बहुभुज ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड किए गए। किन्नौर मण्डल ने कोई बहुभुज अपलोड नहीं किए एवं चौपाल मण्डल द्वारा अपलोड किए गए दो[11] बहुभुज गलत पाए गए।

इस प्रकार विभाग बड़ी मात्रा में प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के बहुभुज (71 प्रतिशत) ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण कार्य की प्रभावी निगरानी में कमी आई।

---

[10] अधिसूचना संख्या एफसी-11/79/2020 - एफसी दिनांक 11 जनवरी 2021 के माध्यम से।

[11] एक बहुभुज उत्तर प्रदेश में स्थित था व एक बहुभुज का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर था जिसके प्रति किया गया प्रतिपूरक वनीकरण 10 हेक्टेयर था।

31 मार्च 2013 (हिमाचल प्रदेश सरकार) को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा हेतु अगस्त 2019 में आयोजित लोक लेखा समिति की कार्यवाही के दौरान विभाग ने बताया कि समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन हेतु ई-ग्रीन वॉच पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। हालांकि यह देखा गया कि विभाग 71 प्रतिशत बहुभुज ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहा।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू व नाचन ने बताया कि बचे हुए/शेष बहुभुज शीघ्र ही ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.2 खुले अवक्रमित वन के बाहर अनियमित/व्यर्थ प्रतिपूरक वनीकरण करना

वन संरक्षण अधिनियम के दिशानिर्देशों की पुस्तिका के परिच्छेद 2.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजनार्थ चयनित किसी भी अवक्रमित वन भूमि को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब क्षेत्र का छत्र घनत्व 40 प्रतिशत (खुले अवक्रमित वन) से कम हो। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्य की कुशल निगरानी हेतु राज्यों को वृक्षारोपण का सम्पूर्ण डाटा ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

सात मण्डलों में 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों/बहुभुजों पर भू-स्थानिक अध्ययन एवं दृश्य व्याख्या के परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों के अनुसार हैं।

तालिका 6.3 वनों के विभिन्न वर्गों में प्रतिपूरक वनीकरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

मण्डल का नाम	स्थलों की संख्या	कुल क्षेत्र	अति सघन वन के अंतर्गत क्षेत्र	मध्यम सघन वन के अंतर्गत क्षेत्र	वनेत्तर भूमि के अंतर्गत क्षेत्र	खुले अवक्रमित वन के अंतर्गत क्षेत्र
भरमौर	4	42.89	2.84	1.36	24.69	14.00
चंबा	4	63.03	20.98	6.23	35.38	0.44
कुल्लू	3	18.32	0	6.88	9.16	2.28
कुनिहार	4	70.29	10.29	40.92	9.5	9.58
सेराज	4	25.42	9.46	5.01	6.13	4.82
धर्मशाला	2	53.24	17.11	15.35	19.64	1.14
नाचन	1	16.56	0.09	0.58	0.13	15.76
योग	**22**	**289.75**	**60.77**	**76.33**	**104.63**	**48.02**
प्रतिशत		**100**	**21**	**26**	**36**	**17**

स्रोत: प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

22[12] प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (290 हेक्टेयर) के विश्लेषण से उजागर हुआ कि खुले अवक्रमित वन के केवल 48 हेक्टेयर (17 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया एवं शेष 242 हेक्टेयर (83 प्रतिशत) में वृक्षारोपण अति सघन वन (21 प्रतिशत), मध्यम सघन वन (26 प्रतिशत) एवं वनेत्तर भूमि (36 प्रतिशत) में किया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 6.1** में विवर्णित है। 124 हेक्टेयर क्षेत्र (43 प्रतिशत) वाले नौ प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों[13] (41 प्रतिशत) में 100 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन (एक मामला नीचे **छवि 1** में दर्शाया गया है) के बाहर किया गया। इन क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण विकसित करने एवं वृक्षारोपण के रखरखाव हेतु विभाग ने ₹ 2.64 करोड़[14] का व्यय किया। उपरोक्त में से ₹ 1.22 करोड़ (46 प्रतिशत) अति सघन वन/मध्यम सघन वन में प्रतिपूरक वनीकरण करने पर खर्च किए गए व ₹ 0.95 करोड़ (36 प्रतिशत) वनेत्तर भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण करने पर खर्च किए गए। इस प्रकार ₹ 2.16 करोड़ (82 प्रतिशत) लागत की निधियां खुले अवक्रमित वन के बाहर किए गए वृक्षारोपण पर खर्च की गई। 242 हेक्टेयर क्षेत्र में खुले अवक्रमित वन भूमि के बाहर प्रतिपूरक वनीकरण का निष्पादन वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। यह अति सघन वन/मध्यम सघन वन (जहां वन घनत्व पहले से ही 40 प्रतिशत से अधिक है) में प्रतिपूरक वनीकरण करने में ₹ 1.22 करोड़ के अनियमित/व्यर्थ व्यय के रूप में परिणत हुआ, साथ ही यह इन क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने पर भी संदेह उत्पन्न करता है (क्योंकि वहां सघन वन पहले से ही मौजूद थे)।

---

12 कुल 22 साइटों में से चार प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों (कुल्लू मण्डल - तीन; बंजार मण्डल - एक) में वृक्षारोपण 2019 के बाद किया गया था व इन मामलों में भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के आंकड़ों पर बहुभुज लगाए गए थे। शेष 18 मामलों में बहुभुजों को भारतीय वन सर्वेक्षण 2009 के आंकड़ों पर अध्यारोपित किया गया था।

13 छः मण्डलों में चुहार, मंगलुन, जगत, कटवाड, छरुगढ़, बंधल, सीएफएसशाहपुर, बारागढ़ III, चडयार

14 22 स्थलों हेतु व्यय की गणना वृक्षारोपण व रखरखाव के वर्ष के दौरान प्रचलित मानदंडों के अनुसार की गई।

छवि संख्या 1

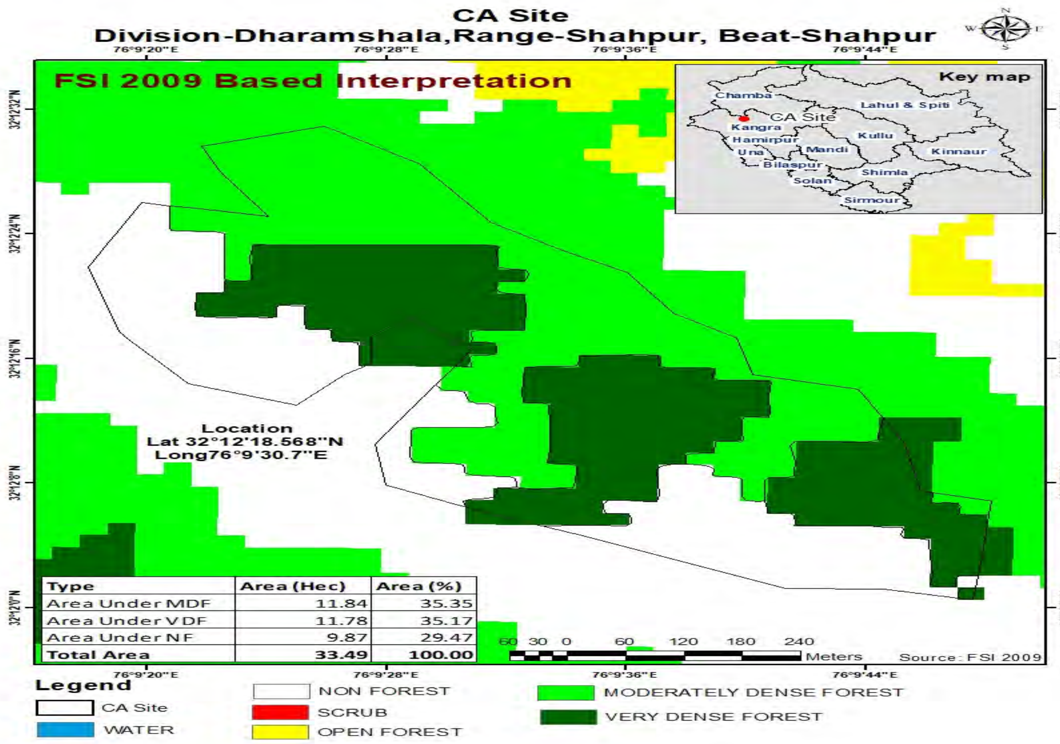

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण-2009 का आकलन

छवि संख्या 2

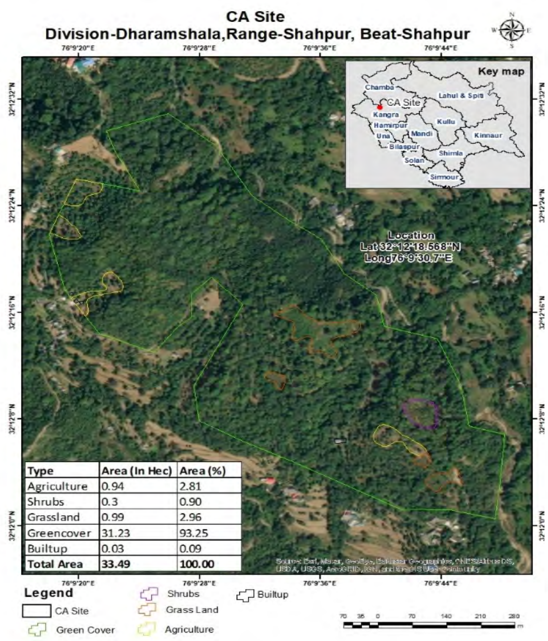

छवि संख्या 3

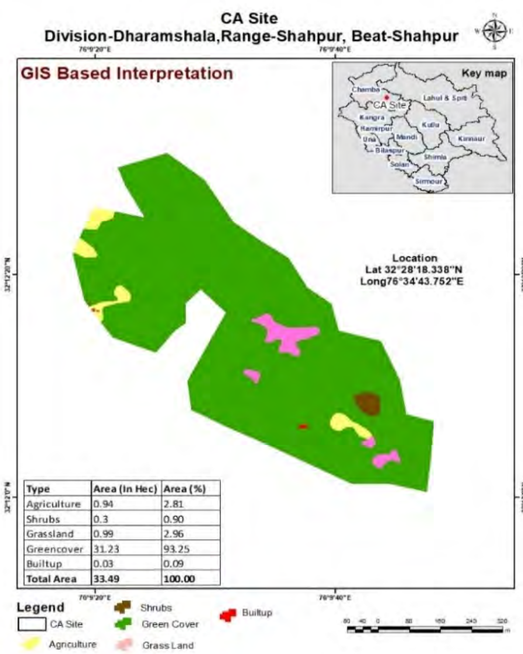

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

मण्डल धर्मशाला, रेंज-शाहपुर, बीट-शाहपुर के प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भारतीय वन सर्वेक्षण, 2009 की **छवि 1** पुष्टि करती है कि 70.52 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण स्थल अति सघन वन/

मध्यम सघन वन के अंतर्गत आते है। उपरोक्त स्थल की सैटेलाइट **छवि 2** वर्ष 2020 में 93.25 प्रतिशत हरित आवरण दर्शाती है।

यह भी देखा गया कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर मण्डलों द्वारा अपलोड किए गए सभी 22 प्रतिपूरक वनीकरण स्थल बहुभुजों में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भूमि का प्रकार अधिसूचित अवक्रमित वन के रूप में बताया गया। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि ई-ग्रीन वॉच पर गलत/भ्रामक जानकारी अपलोड की जा रही थी क्योंकि 83 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर किया गया था तथा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के कार्यान्वयन की प्रामाणिकता को सत्यापित/मान्य करने के लिए विभाग एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्तर पर कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विभाग के जीआईएस अनुभाग के पास विभिन्न प्रकार के वनावरण के विस्तार के संबंध में वर्ष 2019 तक के भारतीय वन सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध थे। हालांकि विभाग राज्य के खुले अवक्रमित वन क्षेत्रों में भूमि बैंकों/उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल चिह्नित करने हेतु इस आंकड़े का उपयोग करने में विफल रहा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 83 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर किया गया।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने बताया कि स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अंतिम बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने सैटेलाइट छवियों का अध्ययन करते समय संभवतः घने लैंटाना वाले वन क्षेत्रों को अति सघन वन/मध्यम सघन वन के रूप में मान लिया होगा। यह भी बताया गया कि कई दृष्टान्तों में क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई केएमएल फाइलें, वृक्षारोपण के वास्तविक अवस्थल/स्थल से मेल नहीं खातीं। यह उत्तर काल्पनिक प्रकृति का था क्योंकि भारतीय वन सर्वेक्षण सम्पूर्ण देश के लिए द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो वन क्षेत्र के नियमित राष्ट्रव्यापी मानचित्रण पर आधारित है एवं रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके दीवार से दीवार तक मानचित्रण अभ्यास के बाद व्यापक ग्राउंड ट्रॉथिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित मंडलों से केएमएल फाइलें मंगाई गईं जिनकी प्रामाणिकता की पुष्टि हेतु ई-ग्रीन वॉच के साथ प्रति-सत्यापन किया गया।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.3 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का चयन एवं प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की अवस्थिति में परिवर्तन

प्रतिपूरक वनीकरण प्रतिपूरक वनीकरण स्थल पर किया जाना था, जो बनाई गई, अनुमोदित एवं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत व्यापक प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार निर्दिष्ट था। भू-स्थानिक विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22 प्रतिपूरक

वनीकरण स्थलों में से 184 हेक्टेयर (63 प्रतिशत) क्षेत्रफल वाले 15 (68 प्रतिशत) स्थलों की अवस्थिति अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना स्थलों से भिन्न थी।

छवि संख्या 4

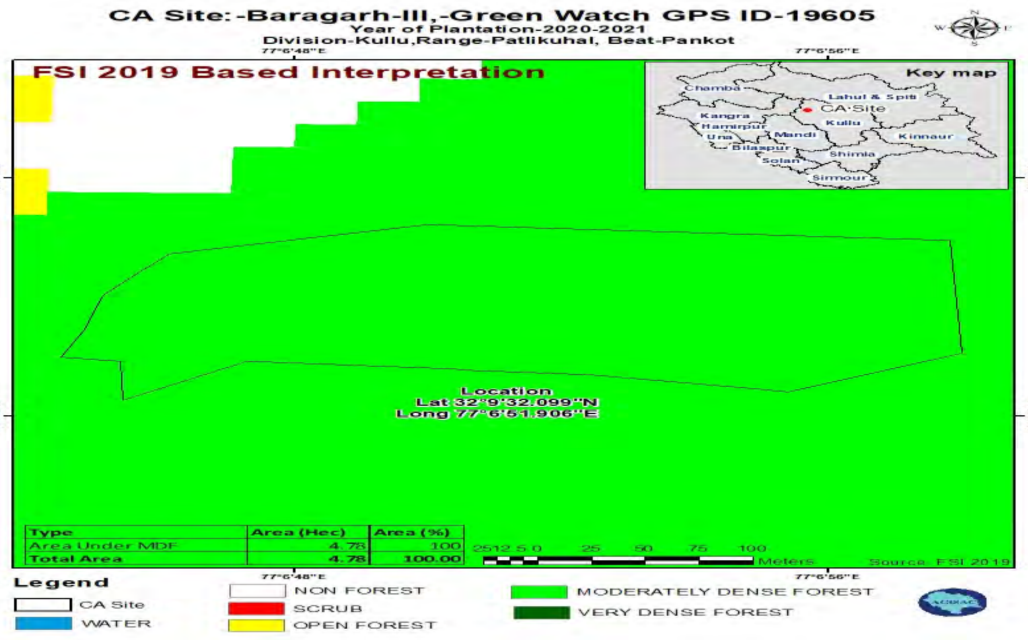

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 5

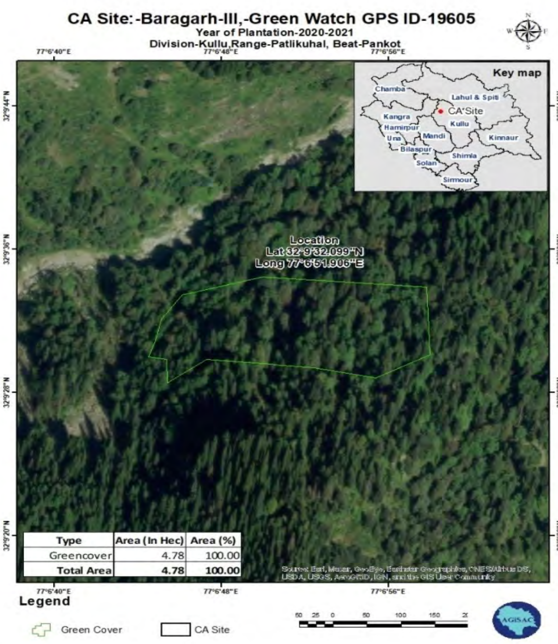

छवि संख्या 6

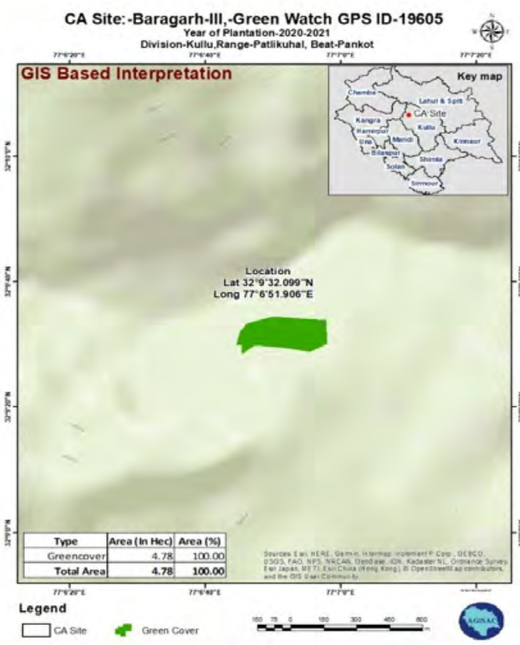

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2021, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजनानुसार प्रतिपूरक वनीकरण साइट: बारागढ़-II; बारागढ़-III में किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (छवि 5)

मण्डल कुल्लू, रेंज-पतलीकूहल, बीट-पंकोट के प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भारतीय वन सर्वेक्षण 2009, **छवि 4** पुष्टि करती है कि प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का 100 प्रतिशत हिस्सा अति सघन वन के अंतर्गत आता है। उपरोक्त स्थल की सैटेलाइट **छवि 5** भी वर्ष 2020 में 100 प्रतिशत हरित आवरण दर्शाती है।

यह भी देखा गया कि उपरोक्त 15 स्थलों में 147 हेक्टेयर क्षेत्र (80 प्रतिशत) में किया गया प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर किया गया था। इसी मुद्दे पर **परिच्छेद 3.8** में भी टिप्पणी की गई एवं भू-स्थानिक अध्ययनों से इसकी पुष्टि होती है।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि शेष सात मामलों (32 प्रतिशत) में, जहां विस्तृत प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार 106 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया, वहां 95 हेक्टेयर क्षेत्र (90 प्रतिशत) में खुले अवक्रमित वन के बाहर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया।

छवि संख्या 7

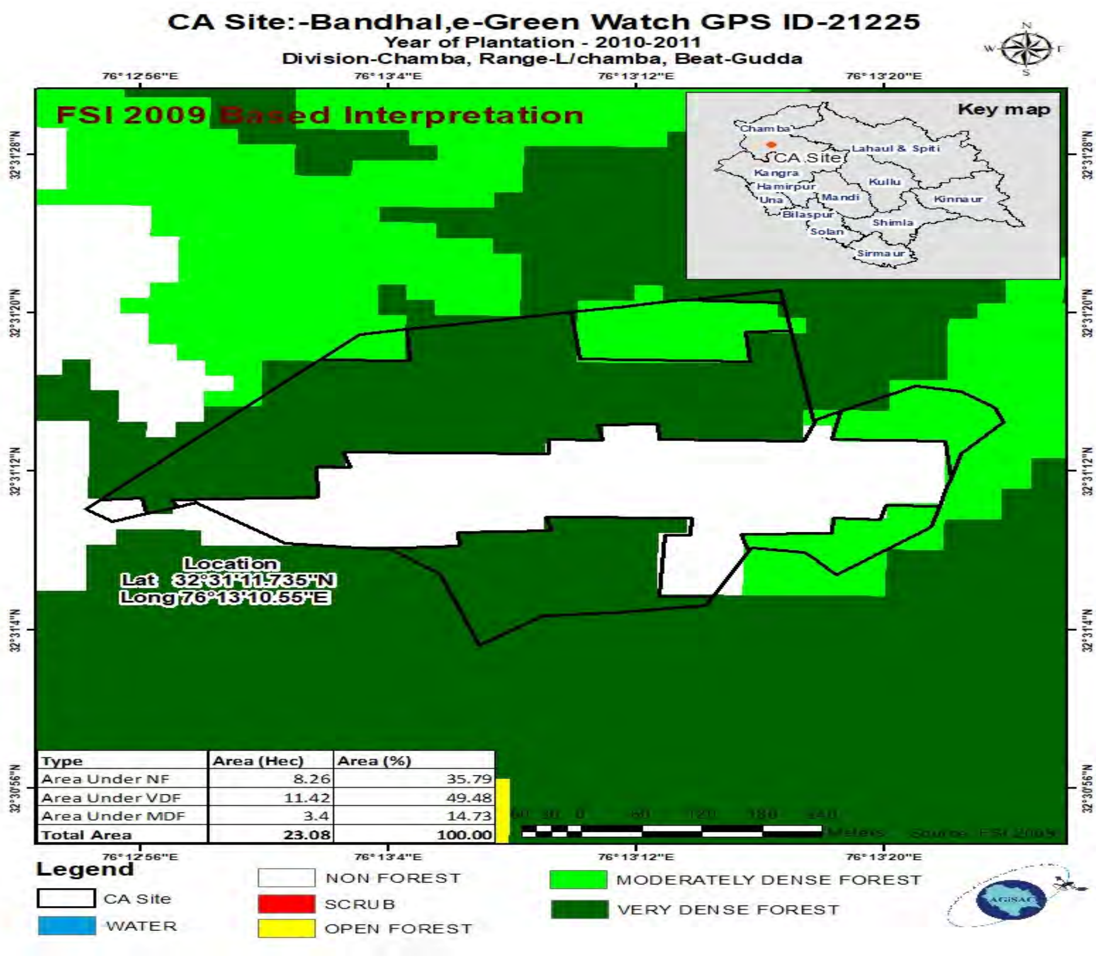

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 8

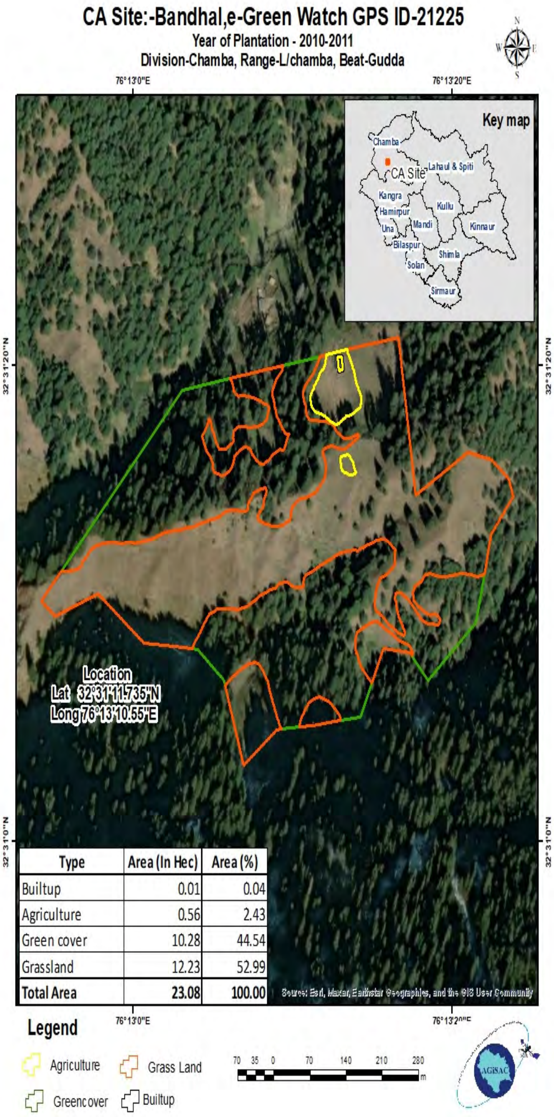

छवि संख्या 9

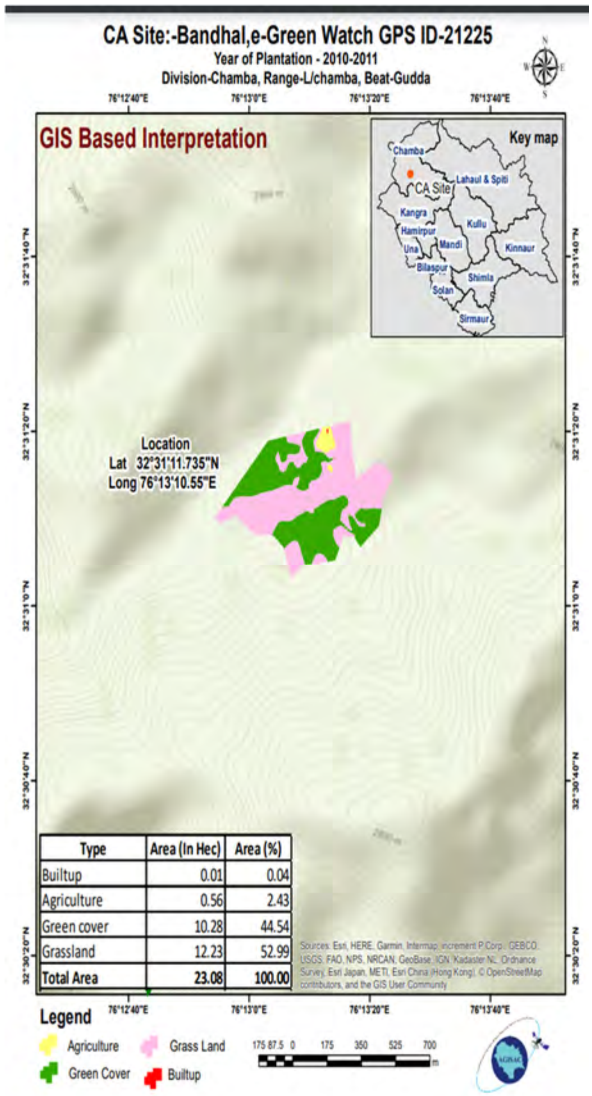

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

मंडल चंबा, रेंज-एल/चंबा, बीट-गुड्डा के प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की भारतीय वन सर्वेक्षण 2009, **छवि 7** पुष्टि करती है कि 64.21 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण स्थल अति सघन वन/मध्यम सघन वन के अंतर्गत आती है। उपरोक्त स्थल की सैटेलाइट **छवि 8** में वर्ष 2020 में 44.54 प्रतिशत हरित आवरण व 52.99 प्रतिशत घास के मैदान दिखाई देते हैं।

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विस्तृत प्रतिपूरक वनीकरण योजना का निरूपण मात्र औपचारिकता प्रतीत होता है एवं वैज्ञानिक डाटा के आधार पर प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के चयनार्थ कोई तंत्र मौजूद नहीं है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पहले तो भले ही प्रतिपूरक वनीकरण स्थल परिवर्तित किए गए या नहीं, प्रतिपूरक वनीकरण खुले अवक्रमित वन के बाहर

किया जा रहा था और दूसरा यह कि अनुमोदन लेते समय जिस प्रतिपूरक वनीकरण स्थल को योजना में शामिल किया गया, योजना के कार्यान्वयन के समय उसका यथार्थ में पालन नहीं किया गया। यह परिलक्षित करता है कि प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के चयन/परिवर्तन (और यह तथ्य कि इसे खुले अवक्रमित वन के बाहर किया जा रहा है) की निगरानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)/पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्तर पर नहीं की जा रही थी।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने बताया कि स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.4 बहुभुजों के क्षेत्र में अंतर

मण्डलों द्वारा उपलब्ध कराए गए/ई-ग्रीन वॉच पोर्टल से डाउनलोड किए गए बहुभुजों के क्षेत्र की तुलना भू-स्थानिक अध्ययन के माध्यम से मापे गए क्षेत्र से की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डलीय अभिलेखों के अनुसार चंबा मंडल की दो प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का क्षेत्रफल भू-स्थानिक अध्ययन के माध्यम से मापे गए क्षेत्रफल से काफी अधिक था, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

तालिका 6.4 मण्डलीय अभिलेखों व भू-स्थानिक अध्ययन के अनुसार बहुभुजों के क्षेत्रों में अंतर

प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	मण्डलीय अभिलेखों के अनुसार क्षेत्र (वार्षिक संचालन योजना) (हेक्टेयर में)	भू-स्थानिक अध्ययन के अनुसार क्षेत्र (हेक्टेयर में)	क्षेत्र में अंतर (हेक्टेयर में)	मण्डलीय अभिलेख के अनुसार क्षेत्र में वृक्षारोपण पर व्यय (वार्षिक संचालन योजना) (₹ लाख में)	भू-स्थानिक अध्ययन में मापे गए क्षेत्र के अनुसार वृक्षारोपण पर व्यय (₹ लाख में)	व्यय आधिक्य (₹ लाख में)
कलवारा	2013-14	15	11.27	3.73 (25)	13.73	10.32	3.41 (25)
कटवाड	2011-12	42	18.70	23.30 (55)	29.25	13.02	16.23 (55)
योग		**57**	**29.97**		**42.98**	**23.34**	**19.64 (46)**

स्रोत: मण्डलीय अभिलेख व प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण; कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

छवि संख्या 10

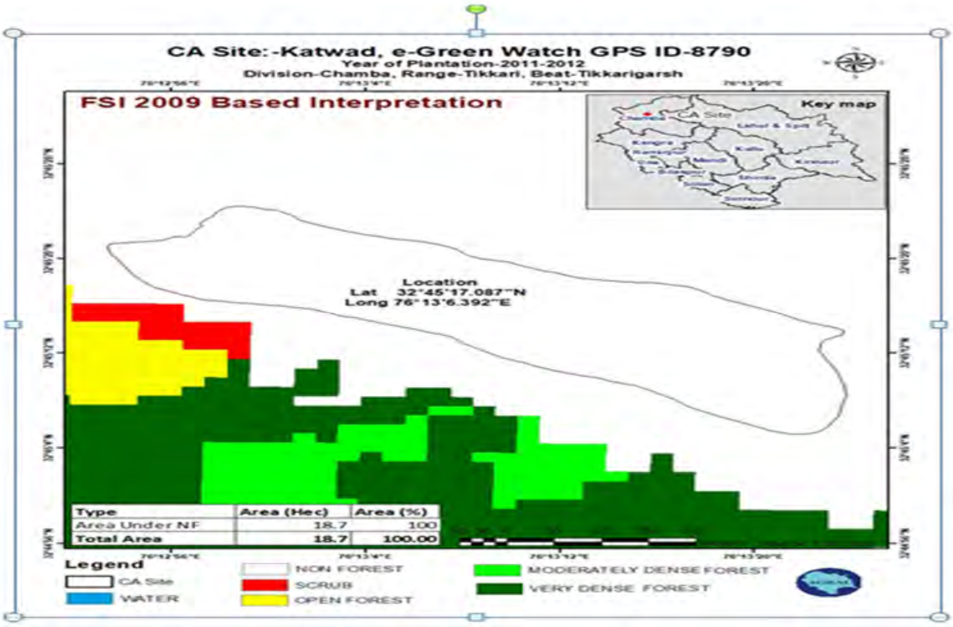

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 11

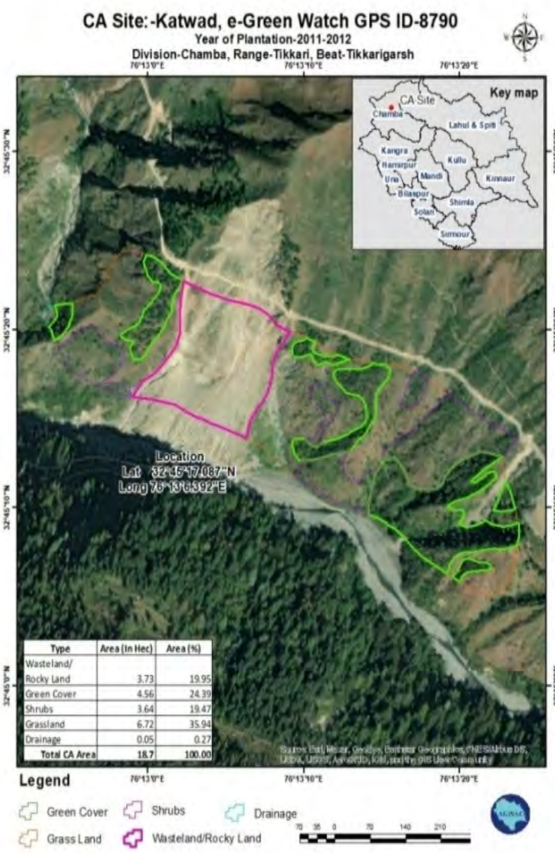

छवि संख्या 12

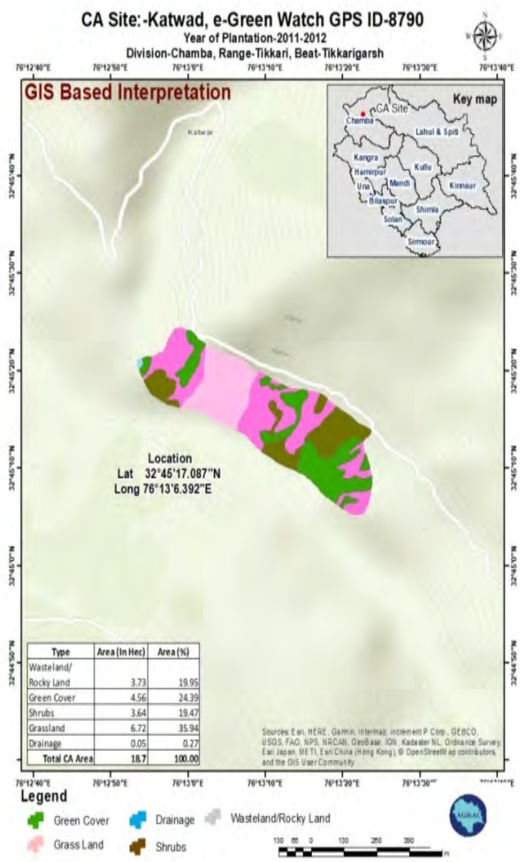

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवियां 11 एवं **12** पुष्टि करती हैं कि कटवाड, चंबा मण्डल, रेंज टिक्करी, बीट टिक्करीगर्श में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का क्षेत्रफल 18.70 हेक्टेयर था, जबकि मण्डलीय अभिलेख में यह 42 हेक्टेयर था।

उपरोक्त से स्पष्ट है, भू-स्थानिक अध्ययन के माध्यम से मापित दो प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का क्षेत्रफल वृक्षारोपित दर्शाए गए क्षेत्र से 25 प्रतिशत व 55 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि उपरोक्त दोनों प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में प्रतिपूरक वनीकरण करने पर किया गया व्यय मण्डलीय अभिलेख में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार था। यह इन स्थलों पर 25 प्रतिशत व 55 प्रतिशत के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ, साथ ही इन प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों पर वास्तव में वनीकरण के कार्यान्वयन पर संदेह उत्पन्न हुआ।

सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.2.2.5 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में संभावित अतिक्रमण के मामले

भूमि उपयोग-भूमि आवरण वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों को 2021 के सैटेलाइट डाटा पर अध्यारोपित (सुपरइंपोज़्ड) किया गया। दृश्य व्याख्या के परिणाम **तालिका 6.5** में दिए गए हैं।

तालिका 6.5 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में अतिक्रमण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

मण्डल का नाम	स्थलों की संख्या	कुल क्षेत्र	निर्माणान्तर्गत क्षेत्र		कृषि के अंतर्गत क्षेत्र	
			स्थलों की संख्या	क्षेत्र	स्थलों की संख्या	क्षेत्र
भरमौर	4	42.89	2	0.06	3	7.28
चंबा	4	63.03	2	0.02	3	1.85
कुल्लू	3	18.32	0	0.00	1	1.29
कुनिहार	4	70.29	1	0.01	2	0.93
सराज	4	25.42	0	0.00	1	1.30
धर्मशाला	2	53.24	1	0.03	1	0.94
नाचन	1	16.56	0	0.00	0	0.00
योग	**22**	**289.75**	**6**	**0.12**	**11**	**13.59**
प्रतिशत		**100**	**0.03**		**5**	

स्रोतः प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का भू-स्थानिक विश्लेषण

छवि संख्या 13

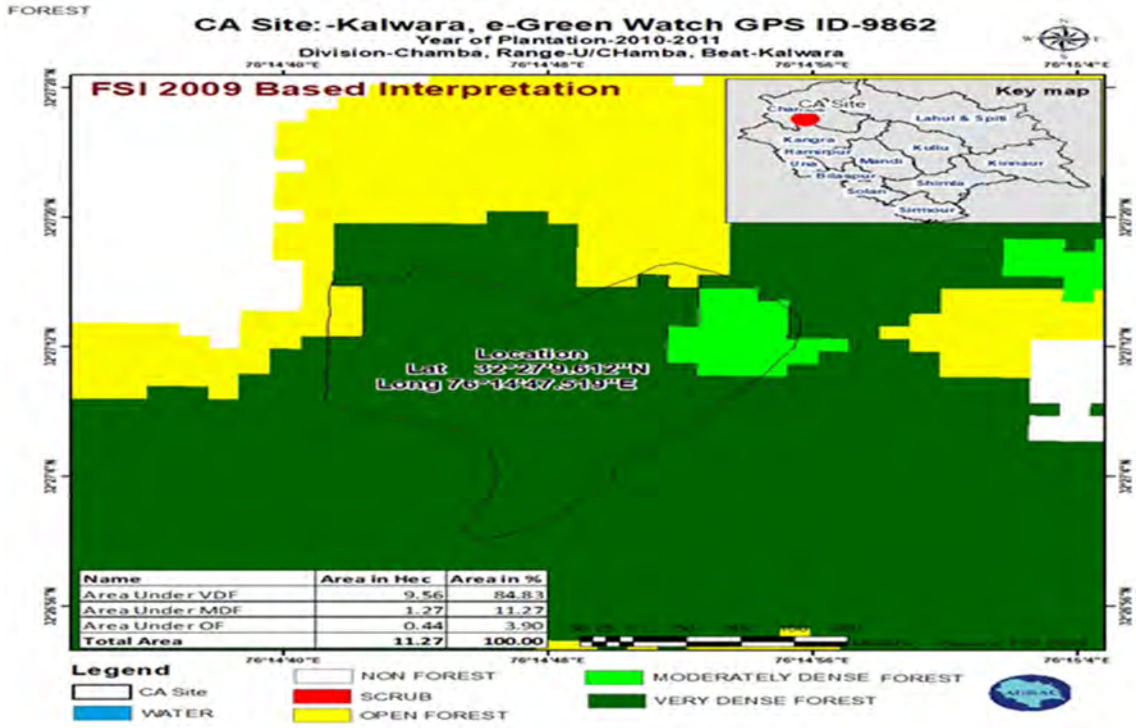

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 14

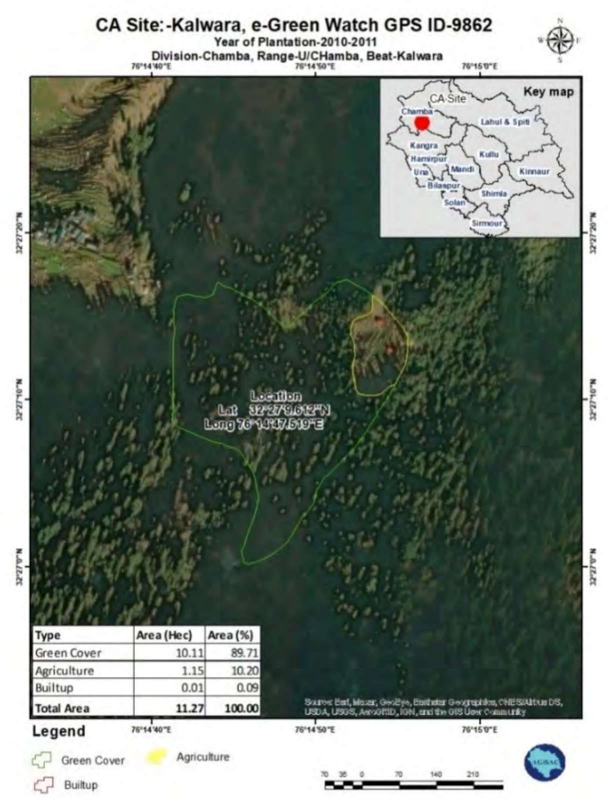

छवि संख्या 15

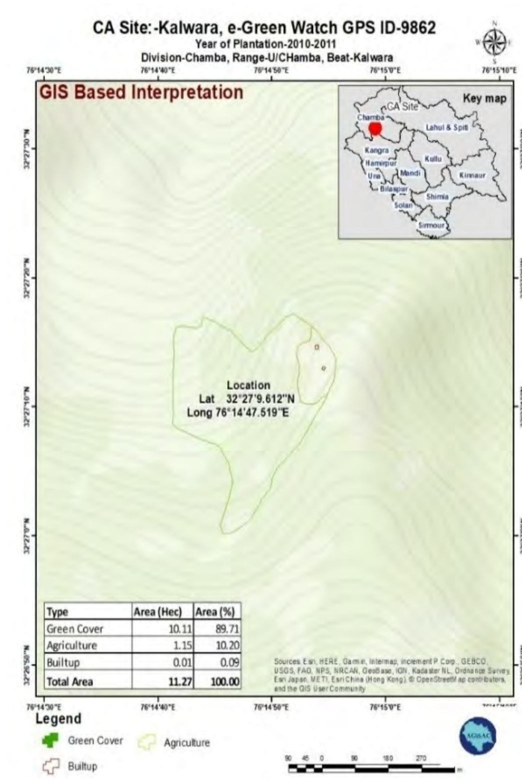

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवि संख्या 16

गूगल अर्थ इमेज-2021:-उपरोक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल में अतिक्रमण का नजदीक से दृश्य

मण्डल चंबा, रेंज यू/चंबा, बीट कलवाड़ा में प्रतिपूरक वनीकरण स्थल की सैटेलाइट छवि (**छवि 14**) प्रतिपूरक वनीकरण स्थल के 10.29 प्रतिशत (प्रतिपूरक वनीकरण स्थल के 10.20 प्रतिशत में कृषि व 0.09 प्रतिशत में निर्मित क्षेत्र) में अतिक्रमण दर्शाती है। उपरोक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थल का निकटवर्ती दृश्य (क्लोज़-अप) उक्त तथ्य की पुष्टि करता है, जैसाकि **छवि 16** में दर्शाया गया है।

भू-स्थानिक अध्ययन के दौरान छः प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में निर्माण-कार्य (निर्मित क्षेत्र) देखा गया व 11 प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में कृषि होना देखा गया, जैसाकि **परिशिष्ट 6.2** में विवर्णित है। यह परिचायक है कि प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों में अतिक्रमण से सुरक्षा हेतु बाड़ (फेंसिंग) का अभाव है, साथ ही यह अतिक्रमण का पता लगाने व रोकने में क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण करने में विफलता को भी इंगित करता है।

वन मंडलाधिकारी, कुल्लू ने बताया कि क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जाएगी। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.3 सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में भूमि उपयोग-भूमि आवरण पर भू-स्थानिक अध्ययन

वन विभाग के जीआईएस अनुभाग[15] द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के नमूना-जांचित आठ[16] मण्डलों में 19,033 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 183 आरक्षित वन फैले हैं व 2,31,745 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3,067 सीमांकित संरक्षित वन[17] फैले हुए हैं।

आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में भूमि उपयोग-भूमि आवरण पर आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा पांच मण्डलों में 10[18] आरक्षित वनों(एक)/सीमांकित संरक्षित वनों (नौ) में किए गए भू-स्थानिक अध्ययन की दृश्य व्याख्या के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

तालिका 6.6 सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में अतिक्रमण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

मण्डल का नाम	सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों की संख्या	कुल क्षेत्र	निर्माणान्तर्गत क्षेत्र	कृषि के अंतर्गत क्षेत्र
चौपाल	4	180.43	0.06	8.14
भरमौर	2	125.54	0.02	1.97
नाचन	2	69.21	0	4.85
कुल्लू	1	38.94	0.05	2.19
कुनिहार	1	23.79	0	0.32
योग	**10**	**437.91**	**0.13**	**17.47**
प्रतिशत		**100**	**0.03**	**4**

स्रोत: सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों का भू-स्थानिक विश्लेषण

भू-स्थानिक अध्ययन के दौरान सात[19] आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में निर्माण-कार्य (निर्मित क्षेत्र) देखा गया एवं सभी 10 आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में कृषि होना देखा गया, जैसाकि **परिशिष्ट 6.3** में विवर्णित है। यह परिचायक है कि आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों की अतिक्रमण से सुरक्षा हेतु बाउंड्री पिलर्स का अभाव है, साथ ही यह अतिक्रमण का पता लगाने व रोकने में क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा नियमित निरीक्षण करने में विफलता को भी इंगित करता है।

---

15 वन विभाग का जीआईएस अनुभाग 1:15,000 स्केल की सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट पर वन क्षेत्र की सीमा का भू-संदर्भ व डिजिटलीकरण कर रहा है। अब तक 35 मण्डलों की वन सीमा का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। हालांकि इस डिजिटलीकृत वन क्षेत्र का जमीनी सत्यापन अभी शुरू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चूंकि राज्य का डिजिटलीकृत राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है।

16 किन्नौर को छोड़कर।

17 इसमें आरक्षित वन भी शामिल हैं।

18 आरक्षित वन - एक व सीमांकित संरक्षित वन - नौ।

19 भरमौर - दो; चौपाल - चार व कुल्लू - एक

छवि संख्या 17 (आरक्षित वन)

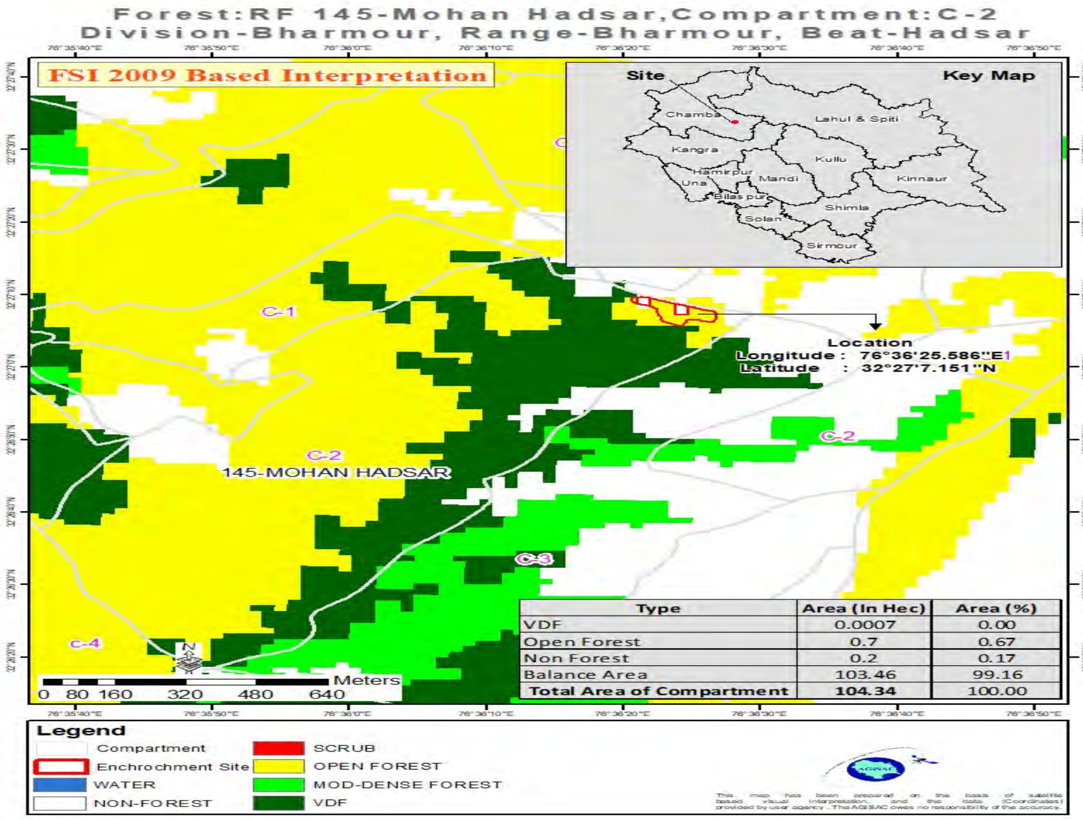

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण, वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 18

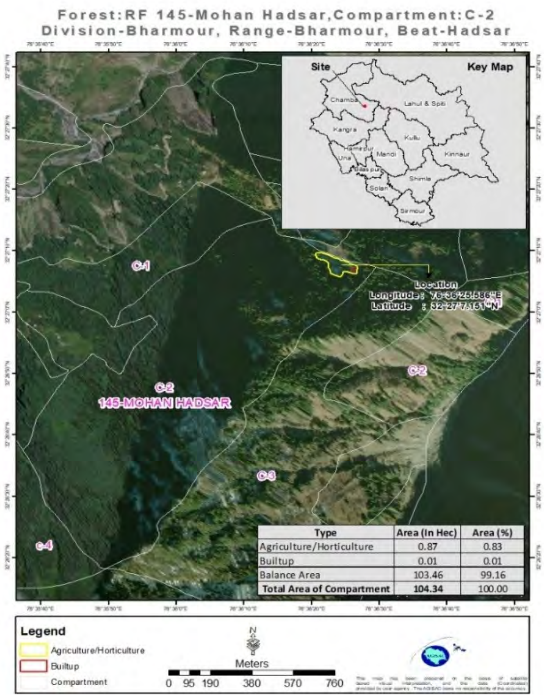

छवि संख्या 19

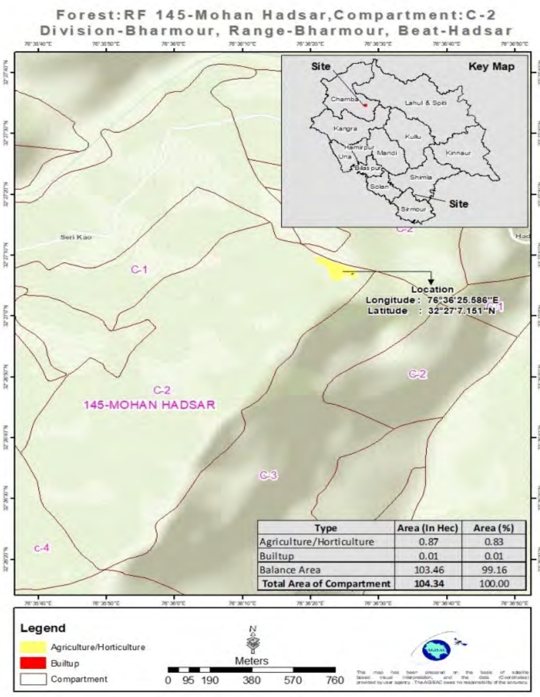

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवि संख्या 20

Forest:RF145-MohanHadsar,Compartment:C-2

Division-Bharmour,Range-Bharmour,Beat-Hadsar

Source: Google Earth Image 2022

Description of zoomed Image: Building and Agriculture/Horticulture activities are noticed in the compartment: C-2 Mohanhadsar

मण्डल भरमौर, रेंज भरमौर, बीट हड़सर में आरक्षित वन 145 के खंड सी-2 मोहनहदसर की सैटेलाइट **छवि 18** उपरोक्त खंड के 0.84 प्रतिशत (आरक्षित वन के 0.83 प्रतिशत में कृषि व 0.01 प्रतिशत में निर्मित क्षेत्र) में अतिक्रमण दर्शाती है। खंड का निकटवर्ती दृश्य (क्लोज़-अप) उक्त तथ्य की पुष्टि करता है, जैसाकि **छवि 20** में दर्शाया गया है।

छवि संख्या 21 (सीमांकित संरक्षित वन)

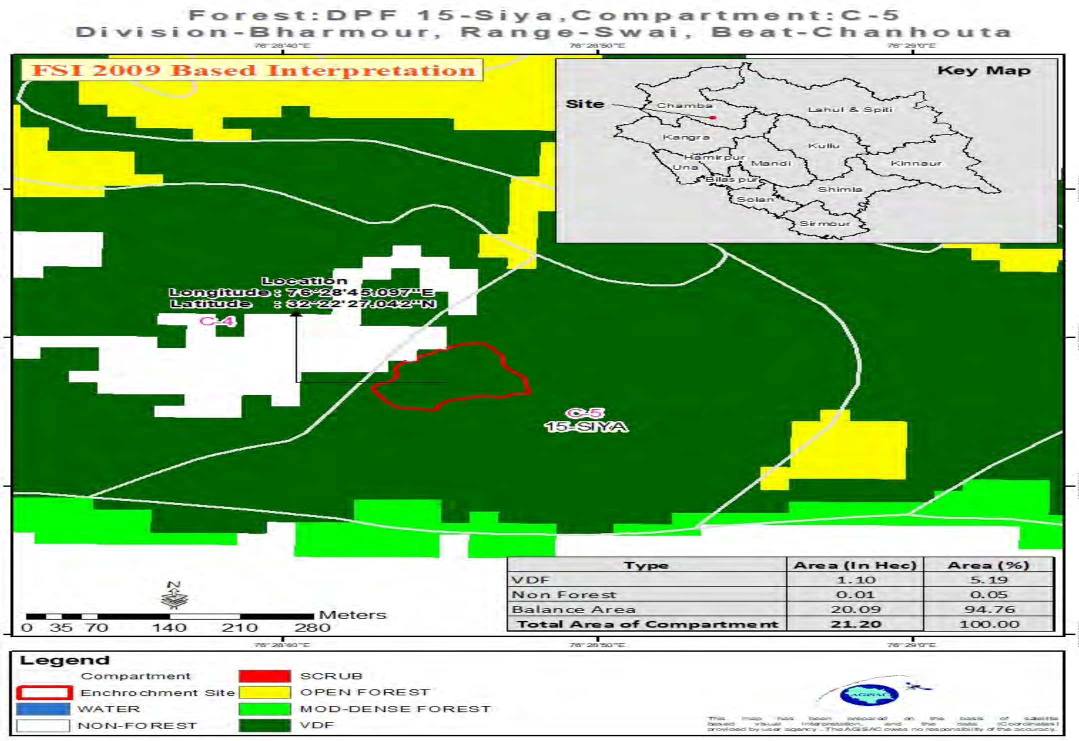

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण, वन आवरण का आकलन-2009

छवि संख्या 22

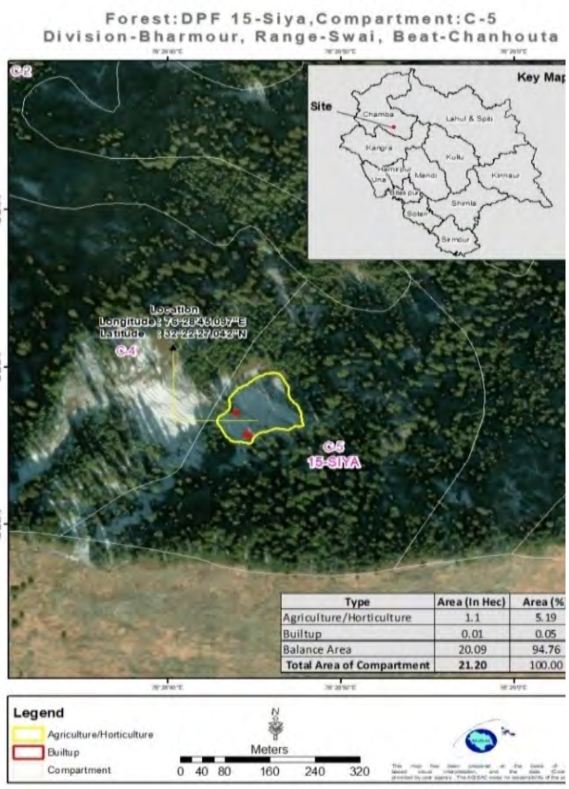

छवि संख्या 23

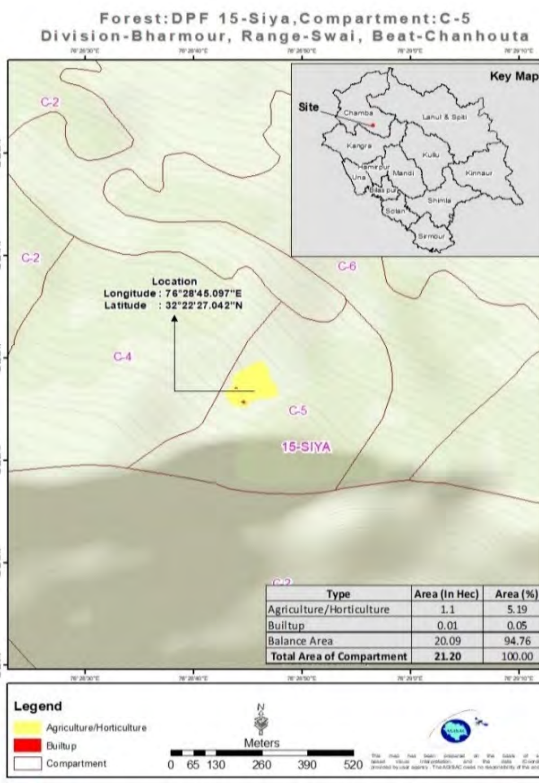

स्रोत: ईएसआरआई, मैक्सार, जियोआई-2020, अर्थस्टार ज्योग्राफिक्स, सीएनईएस/एयरबस डीएस, यूएसडीए, यूएसजीएस, एयरो ग्रिड, आईजीएन, व जीआईएस उपयोगकर्ता समुदाय

छवि संख्या 24

Forest:DPF15-Siya,Compartment:C–5

Division-Bharmour,Range-Swai,Beat-Chanhouta

Source: Google Earth Image 2022
Description of zoomed Image: Buildings and Agriculture/Horticulture activities are noticed in the compartment: C-5 DPF 15 Siya

मण्डल भरमौर, रेंज स्वाई, बीट चन्हौटा में सीमांकित संरक्षित वन, सिया में खंड सी-5 की सैटेलाइट **छवि 22** उक्त खंड के 5.24 प्रतिशत में अतिक्रमण (आरक्षित वन के 5.19 प्रतिशत में कृषि व 0.05 प्रतिशत में निर्मित क्षेत्र) दर्शाती है। खंड का क्लोज़-अप दृश्य उक्त तथ्य की पुष्टि करता है, जैसाकि **छवि 24** में दर्शाया गया है।

वन मंडलाधिकारी, नाचन ने बताया कि क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाएगा तथा तदानुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्य मण्डलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

6.4 निष्कर्ष

प्रतिपूरक वनीकरण भूमि एवं वृक्षों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की नमूना-जांच करने पर पाया गया कि विभाग खुले

अवक्रमित वनों में प्रतिपूरक वनीकरण करने में विफल रहा और यहां तक की 47 प्रतिशत कार्य सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों में किया गया, जो सार्वजनिक धन की बर्बादी थी और प्रतिपूरक वनरोपण के उद्देश्य को विफल करने के अलावा वास्तविक प्रतिपूरक वनरोपण पर संदेह पैदा करता था। यह भी देखा गया कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के संबंध में गलत/अशुद्ध जानकारी अपलोड की जा रही थी। इसके अतिरिक्त ई-ग्रीन वॉच पोर्टल के अनुसार एवं भू-स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से मापी गई प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के क्षेत्रों में अंतर के दृष्टांत देखे गए। संक्षेप में, विभाग में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण योजना का अक्षरशः कार्यान्वयन करने में आंतरिक नियंत्रण का पूर्ण अभाव था, जो प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण करने के प्रयासों की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वनों/सीमांकित संरक्षित वनों में अतिक्रमण की भी आशंका है जिसे विभाग द्वारा जमीनी सत्यापन करके सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

6.5 सिफारिशें

विभाग विचार करे:

- *वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रतिपूरक वनीकरण करना सुनिश्चित करने के लिए खुले अवक्रमित वन के अधीन आने वाली प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों को चिह्नित करने हेतु जीआईएस अनुभाग के पास उपलब्ध डाटा का उपयोग करने पर।*
- *आंतरिक नियंत्रण तंत्र का सदृढ़ीकरण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि*
    - *प्रतिपूरक वनीकरण योजना निरुपित करते समय वैज्ञानिक डाटा के आधार पर उपयुक्त प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों का चयन किया जाता है एवं केवल निर्दिष्ट चयनित स्थल पर ही प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है; तथा*
    - *प्रतिपूरक वनीकरण करने के विवरण के संबंध में सही/सटीक जानकारी ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।*
- *मध्यम सघन वन/अति सघन वन क्षेत्रों में संदेहास्पद निष्पादन के मामलों की जांच करने पर एवं जहां आवश्यक हो, जिम्मेदारी तय करने पर।*
- *प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों की चयन प्रक्रिया एवं निष्पादन के दौरान अवस्थिति में बाद के परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करने पर। प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों के अनधिकृत परिवर्तन वाले मामलों में ज़िम्मेदारी तय करने पर।*

- *प्रतिपूरक वनीकरण स्थलों एवं सीमांकित संरक्षित वनों/आरक्षित वनों को अतिक्रमण मुक्त रखना सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त करने पर एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण के मामलों की जांच एवं दोषियों पर क़ानूनी कार्रवाई करने पर।*

(चंदा मधुकर पंडित)

शिमला — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

दिनांक: 27 अगस्त 2024 — हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 6 सितम्बर 2024